



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1743]

नई दिल्ली, मंगलवार अगस्त 18, 2015/श्रावण 27, 1937

No. 1743]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2015/ SRAVANA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

का.आ. 2244(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पतः esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य अक्षांश 24°1' से 24°12' उ० और देशांतर 85°13' और 85°32' पू० झारखंड राज्य के जिला हजारीबाग के मध्य अवस्थित है। अभ्यारण्य 186.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7 किलोमीटर की चौड़ाई के आकार में मोटे तौर पर आयताकार है और हजारीबाग के राजस्व खंड, आईचक और पदमा के अंतर्गत पड़ने वाले 89 ग्रामों से अधिक इसका विस्तार है;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य 24 मई, 1976 को अधिसूचित किया गया था और यह वन्यजीव खंड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है:

और जहाँ, संरक्षित क्षेत्र विविध भाति के वनों का आक्षाय है— उत्तरी भारतीय पर्णपाती वन, आर्द एवं शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन—और स्तनधारियों कि 16 प्रजाति, 124 पक्षी प्रजाति और वनस्पतियों कि 142 प्रजाति, तेंदुआ, स्लोथ बियर, पेगोलियन्स, पैथन इत्यादि सहित जो कि सभी संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, की अर्थपूर्ण जनसंख्या का उत्कृष्ट वासस्थान है ।

और जहाँ, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य मे जैव-विविधता की अत्यधिक सीमा है और भूत में इसे, हिरणो कि सर्वाधिक प्रजाति, संभर के घर के रूप में जाना जाता था । यह आक्षय, चीतल, जंगली सूअर, सियार, साही, लकडबग्घा, पैगुलियन्स, खरगोल आदि के द्वारा सहभागी किया जाता है । यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली मुख्य प्रजातियाँ हैं— सरपेंट, ईगल, पैराडाइस फलाई कैचर, किंग फिसर, बी ईटर, सूअर, विभिन्न प्रकार के बब्लर्स, ब्लैक ड्रोनो, वूड पिकर, लैपविंग, पी फाउल, पोन्ड हेरन, इगर्ट इत्यादि और भेडिया और तेंदुआ जैसे मांसभक्षी भी दिखाई पड़ते हैं ।

और जिला गजट हजारीबाग, 1917 में यह मताभिव्यक्ति किया गया था कि हजारीबाग की पहाड़ियां व्याघ्र और तेंदुओं के स्थायी वास स्थान हैं और हजारीबाग का कस्तूर और अभयारण्य के वनों में जिसमें हाथी के गृह क्षेत्र भी आते हैं उनका उस क्षेत्र में आना-जाना लगा रहता है ;

और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य दो नदियों के समूह अ क्वेटा और देवना के जलग्रहण, में पड़ता हैं और संरक्षित क्षेत्र में वर्षा होने से प्राकृतिक धाराएं और झीलों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में उपयोग होता है । संरक्षित क्षेत्र के वन वर्षा के जल को अंतररोध करता है जिससे भूजल जलभृत का पुनःभराव करने में सहायता मिलती है तथा मिट्टी के कटाव को रोककर उसमें गाद भरके नदी की धाराओं को संरक्षण देती है ;

और संरक्षित क्षेत्र वाला भाग स्थानीय जनसंख्या को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में सहायता करता है जिसका वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा की गुंजाइश के लिए अत्यधिक बोधात्मक मूल्य है और उन्नतशील पारिस्थितिक पर्यटन का समर्थन करने के लिए जबरदस्त क्षमता है ;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 के

उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, कि सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तार तक की सीमा क्षेत्र को हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से पांच किलोमीटर तक है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 593.48 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन निम्नानुसार है :

दक्षिणी ओर : सिवान नदी, अलौंजा काला संरक्षित वन और, हजारीबाग बस्ती से बाहर निकलते हुए करीमति संरक्षित वन। हजारीबाग बस्ती से आगे तथापि चढ़वा गांव, चढ़वा बांध तथा प्रवासी पक्षियों के महत्व समझते हुए कमजोर पारिस्थितिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ;

उत्तरी ओर : महाबार पहाड़, बरसोत संरक्षित वन, बही पहाड़, एन.एच.-33 और केवटा नदी ;

पश्चिमी ओर : मोहने नदी, अनियावां मौजा, पानीघाट नाला और चोपा गांव ;

पूर्वी ओर : बसोती नाला, जी. टी. रोड़, चेकापी, सोनार खाप और बसारिया।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार द्वारा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकासों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यस्तन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए

विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 25, 29, 31 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान ;
- (iii) वर्षा जल संचय ; और
- (iv) कुटीर उद्योगों में ग्रामीण कारीगर, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ;

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः

वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशकों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक क्रियाकलापों को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिवासों के लिए वास सुविधा के सिवाय हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों के स्थापन को केवल पूर्व परिभाषित, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विद्यमान और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संरक्षण तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत को

सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पर्यावरण के लिए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की संज्ञा के समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबन्ध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबन्धों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप : | | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां । | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बड़े), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों के घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन चिकित्सीय |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा । |
| (2) | आरा मशीनों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । |
| (3) | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| (4) | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| (5) | नए बृहत जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| (6) | प्लास्टिक के थैलों का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| (7) | खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| (8) | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप गर्म वायु गुबारे आदि का अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| (9) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्साव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| ख. विनियमित क्रियाकलाप | | |
| (10) | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व में |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।</p> |
| (11) | होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन । | <p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे ।</p> <p>तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सतही नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।</p> |
| (12) | कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (13) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है । | <p>(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक भू-जल और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।</p> <p>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।</p> <p>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सतही</p> |

| | | |
|------|--|---|
| | | उपाय किए जाएंगे । |
| (14) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । | भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । |
| (15) | होटलों, लॉज और रिसोर्टों के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (16) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण। | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । |
| (17) | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । |
| (18) | विदेशी प्रजातियों को लाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (19) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (20) | वायु (ध्वनि सम्मिलित है) और यानिय प्रदूषण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (21) | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (22) | 11 केवी और उससे ऊपर हाई टेंशन शक्ति विद्युत पारेषण लाइनों का परिनिर्माण । | लागू विधियों और, या, मानीटरिंग समिति की सिफारिश के साथ आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे । |
| (23) | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सख्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।</p> <p>(ख) 1 किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सख्त स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।</p> <p>(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।</p> |
| (24) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्रों में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण । | उपचारित बहिर्साव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा । |
| (25) | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । | पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे । |
| (26) | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (27) | सुरक्षा बल कैंप । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (28) | नए काष्ठ आधारित उद्योग । | पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग सौ प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टॉक को प्रयोग में लाते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किए जा सकेंगे । |
| (29) | पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलाप हेतु पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| ग - उन्नत क्रियाकलाप : | | |
| (30) | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन । | लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे । |
| (31) | वर्षा जल संचयन । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (32) | जैविक खेती । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (33) | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। |
| (34) | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (35) | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) उपायुक्त, हजारीबाग, झारखंड सरकार - अध्यक्ष
- (ख) क्षेत्रीय अधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (ग) झारखंड सरकार के वन और पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (घ) झारखंड सरकार के खनन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

- (ड) झारखंड सरकार के उद्योग विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (घ) झारखंड सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि- सदस्य ;
- (छ) झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ज) झारखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (झ) ज्येष्ठ नगर योजनाकार, झारखंड सरकार - सदस्य ;
- (ञ) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;
- (ट) पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ; और
- (ठ) प्रभागीय वन अधिकारी, हजारीबाग वन्यजीव खंड - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त, कोई व्यक्ति जो इस

अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध IV पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।


उपाखण्ड]

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा
साथ भूमण्डलीय स्थिति प्रणाली (जीपीएस) निर्देशांक ।

| क्र. सं. | भौगोलिक पोशिंग सिस्टम | देशांतर | अक्षांश |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1. | पू 01 | 85°8.706' पू | 24°12.505' उ |
| 2. | पू 02 | 85°14.368' पू | 24°13.392' उ |
| 3. | पू 03 | 85°18.011' पू | 24°13.170' उ |
| 4. | पू 04 | 85°22.047' पू | 24°12.102' उ |
| 5. | पू 05 | 85°26.246' पू | 24°13.997' उ |
| 6. | पू 06 | 85°29.989' पू | 24°14.490' उ |
| 7. | पू 07 | 85°34.003' पू | 24°11.630' उ |
| 8. | पू 08 | 85°34.001' पू | 24°8.644' उ |
| 9. | पू 09 | 85°30.849' पू | 24°5.477' उ |
| 10. | पू 10 | 85°29.128' पू | 24°2.420' उ |
| 11. | पू 11 | 85°24.647' पू | 24°2.964' उ |
| 12. | पू 12 | 85°23.248' पू | 24°2.328' उ |
| 13. | पू 13 | 85°19.769' पू | 24°1.092' उ |
| 14. | पू 14 | 85°15.208' पू | 24°0.271' उ |
| 15. | पू 15 | 85°12.587' पू | 24°2.134' उ |
| 16. | पू 16 | 85°11.982' पू | 24°4.971' उ |
| 17. | पू 17 | 85°10.091' पू | 24°7.275' उ |
| 18. | पू 18 | 85°8.697' पू | 24°9.403' उ |
| 19. | पू 19 | 85°8.796' पू | 24°11.242' उ |

उपाबंध II

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र ।



अनुबंध III

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची ।

कमजोर पारिस्थितिकी/पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पहचान के लिए हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के एक्स्लेव ग्रामों के ब्यौरे

| क्र.सं. | गांव के नाम | एडमम ब्लॉक | परि वार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | वन भूमि (हेक्टेर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टेर) | खनन/उत्खनन | उद्योग | हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी(किमी) |
|---------|------------------|------------|---------|--------------|---------------|-----------------|------|-------------------|------------------|---------------------|------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | बनगनवा | बरही | 36 | 268 | 0 | 0 | 268 | 198.03 | 42.35 | 166.77 | शून्य | शून्य | 5 |
| 2 | बेला | बरही | 182 | 1140 | 212 | 0 | 928 | 0.00 | 66.85 | 195.44 | शून्य | शून्य | 3 |
| 3 | छालनगा | बरही | 95 | 577 | 18 | 2 | 557 | 80.10 | 97.68 | 131.8 | शून्य | शून्य | 4.5 |
| 4 | महुगरा | बरही | 64 | 507 | 0 | 0 | 507 | 205.20 | 25.16 | 35.96 | शून्य | शून्य | 2.5 |
| 5 | तेतारिया भानदारो | बरही | 30 | 231 | 0 | 0 | 231 | 106.26 | 58.04 | 102.13 | 1 | शून्य | 5 |
| 6 | तिलाईदीन | बरही | 104 | 687 | 164 | 0 | 523 | 25.00 | 35.8 | 162.78 | शून्य | शून्य | 2.0 |
| 7 | जीतपुर | बरही | 87 | 434 | 13 | 90 | 331 | 201.42 | 24.50 | 102.10 | शून्य | शून्य | 4.5 |
| 8 | कुतमा | बरही | 101 | 537 | 81 | 455 | 1 | 457.03 | 56.92 | 49.20 | शून्य | शून्य | 2.5 |
| 9 | पिपराटैंड | बरही | 33 | 183 | 26 | 130 | 27 | 87.48 | 31.25 | 28.45 | शून्य | शून्य | 3.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 10 | डुनडु | बरही | 126 | 830 | 0 | 0 | 830 | 39.43 | 11.45 | 67.3 | 1 | शून्य | 1.0 |
| 11 | खुतरा | इछक | 239 | 1517 | 327 | 1 | 1189 | 122.05 | 57.08 | 115.23 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 12 | रट | इछक | 155 | 757 | 160 | 0 | 597 | 0.00 | 59.98 | 50.64 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 13 | सिरसी | इछक | 108 | 722 | 75 | 0 | 647 | 0.00 | 34.1 | 53.59 | शून्य | शून्य | 1.0 |
| 14 | रेलिया | इछक | 85 | 557 | 140 | 0 | 417 | 0.00 | 12.25 | 34.85 | शून्य | शून्य | 2.0 |
| 15 | गनगुरा | इछक | 421 | 2181 | 340 | 2 | 1839 | 0.00 | 47.85 | 97.43 | शून्य | शून्य | 2.5 |
| 16 | जमुआरी | इछक | 198 | 1166 | 176 | 0 | 990 | 0.00 | 63.43 | 58.78 | शून्य | शून्य | 3.0 |
| 17 | मानदुआ | इछक | 38 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 37.46 | 18.19 | शून्य | शून्य | 5 |
| 18 | छाप्रख | इछक | 171 | 955 | 206 | 0 | 749 | 0.00 | 11.05 | 56.03 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 19 | गोबरबधा | इछक | 175 | 1189 | 124 | 3 | 1062 | 0.00 | 119.36 | 48.02 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 20 | पुरनाइयाक अलियास | इछक | 271 | 1723 | 384 | 0 | 1339 | | 315.10 | | शून्य | शून्य | 2.12 |
| | पुरनादिह | | | | | | | 0.00 | | 98.70 | | | |
| 21 | बंगा | इछक | 559 | 3280 | 520 | 0 | 2760 | 24.12 | 290.59 | 193.63 | 2 | शून्य | 0.75 |
| 22 | चन्दा | इछक | 119 | 641 | 88 | 0 | 553 | 1.00 | 37.43 | 42.95 | शून्य | शून्य | 2 |
| 23 | दरिया | इछक | 298 | 1799 | 273 | 0 | 1526 | 216.76 | 52.64 | 86.48 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 24 | जलाओन्धा | इछक | 260 | 1389 | 536 | 0 | 853 | 215.00 | 23.46 | 40.15 | शून्य | शून्य | 1.25 |
| 25 | जोगदिह | इछक | 86 | 536 | 81 | 0 | 455 | 0.00 | 38.26 | 48.68 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 26 | करियाटपुर | इछक | 346 | 2003 | 207 | 1 | 1795 | 0.00 | 128.42 | 88.42 | शून्य | शून्य | 2.5 |
| 27 | कुरुहु | इछक | 390 | 2583 | 426 | 0 | 2157 | 0.00 | 63.05 | 92.45 | शून्य | शून्य | 3.5 |
| 28 | लोनहरी | इछक | 48 | 256 | 185 | 0 | 71 | 54.85 | 2.95 | 36.87 | शून्य | शून्य | 5 |
| 29 | सराम | इछक | 45 | 286 | 0 | 1 | 285 | 0.00 | 18.02 | 12.45 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 30 | उरका | इछक | 133 | 807 | 81 | 10 | 716 | 24.87 | 68.82 | 62.96 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 31 | बमनी | इछक | 161 | 842 | 75 | 589 | 178 | 556.36 | 127.67 | 62.50 | 3 | शून्य | 3.5 |
| 32 | बसरिया | इछक | 106 | 613 | 31 | 0 | 58 | 85.08 | 5.33 | 82.41 | 3 | शून्य | 5 |

| क्र.सं. | दरहा | इछक | 176 | 1134 | 226 | 0 | 908 | 201.6 | 110.21 | 73.65 | शून्य | शून्य | 2.12 |
|---------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------|------------------|------------------|--------------------|------------|--------|---|
| 33 | देवोकुली | इछक | 532 | 3070 | 1006 | 69 | 1995 | 0.00 | 65.25 | 101.35 | शून्य | शून्य | 5 |
| | गांव के नाम | एडमस ब्लॉक | परिवार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | वन भूमि (हेक्टर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टर) | खनन/उत्खनन | उद्योग | हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी(किमी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | दिधीबस्ती | इछक | 38 | 261 | 9 | 0 | 252 | 33.38 | 98.08 | 42.01 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 36 | करमा | इछक | 126 | 810 | 112 | 0 | 698 | 51.98 | 77.41 | 62.74 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 37 | खइरा | इछक | 257 | 1455 | 300 | 321 | 834 | 284.68 | 510.42 | 144.23 | शून्य | शून्य | 3 |
| 38 | लुनदरु | इछक | 404 | 2111 | 407 | 1 | 1703 | 214.53 | 130.11 | 195.91 | शून्य | शून्य | 5 |
| 39 | मरपा | इछक | 63 | 297 | 49 | 58 | 190 | 0.00 | 139.39 | 45.42 | शून्य | शून्य | 5 |
| 40 | फुरुका | इछक | 112 | 596 | 56 | 0 | 540 | 0.00 | 156.20 | 53.39 | शून्य | शून्य | 5 |
| 41 | गरी सराम | इछक | 167 | 866 | 305 | 0 | 561 | 102.87 | 54.31 | 80.14 | 1 | शून्य | 2 |
| 42 | घाघरा खुर्द | इछक | 121 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0.00 | 69.41 | 38.42 | शून्य | शून्य | 5 |
| | उजराही | इछक | 6 | 52 | 31 | 18 | 3 | 284.68 | 1.78 | 30.84 | शून्य | शून्य | 2 |
| 43 | दिगही | इछक | | | * | | | | | | | | |
| | अमझार | कटकामस नदी | 41 | 249 | 242 | 0 | 7 | 509.11 | 15.70 | 53.02 | शून्य | शून्य | 5 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | बनझिया | कटकामस | 76 | 441 | 96 | 0 | 345 | 42.14 | 157.89 | 58.08 | शून्य | शून्य | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 46 | बरगार | नदी | कटकामस | 353 | 2195 | 658 | 6 | 1531 | 267.33 | 4.76 | 51.64 | 2 | शून्य | 1 |
| 47 | बरीकोला | नदी | कटकामस | 198 | 1220 | 201 | 534 | 485 | 646.83 | 316.14 | 25.12 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 48 | झोन्डा | नदी | कटकामस | 100 | 596 | 386 | 208 | 2 | 401.54 | 141.92 | 42.41 | शून्य | शून्य | 1 |
| 49 | दहुरी | नदी | कटकामस | 292 | 1975 | 217 | 0 | 1758 | 215.93 | 100.00 | 102.45 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 50 | धउतवा | नदी | कटकामस | 29 | 214 | 54 | 0 | 160 | 0.00 | 4.52 | 16.13 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 51 | जोलहादिहा | नदी | कटकामस | 115 | 567 | 165 | 12 | 390 | 330.26 | 25.7 | 98.9 | शून्य | शून्य | 1 |
| 52 | कोथोउतिया | नदी | कटकामस | 94 | 530 | 177 | 37 | 316 | 236.49 | 81.32 | 67.17 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 53 | लावाकुदार | नदी | कटकामस | 71 | 465 | 0 | 191 | 274 | 511.47 | 14.60 | 120.37 | शून्य | शून्य | 3.5 |
| 54 | मानर | नदी | कटकामस | 60 | 416 | 118 | 0 | 298 | 299.02 | 43.94 | 88.89 | शून्य | शून्य | 5 |
| 55 | मरिगारा | नदी | कटकामस | 85 | 510 | 191 | 16 | 303 | 186.05 | 18.79 | 70.69 | शून्य | शून्य | 4.5 |
| 56 | मउहगन | नदी | कटकामस | 39 | 249 | 6 | 102 | 141 | 373.96 | 4.89 | 11.6 | शून्य | शून्य | 5.5 |
| 57 | उलामज | नदी | कटकामस | 79 | 535 | 18 | 0 | 517 | 78.47 | 2.28 | 127.21 | शून्य | शून्य | 1 |

| 70 | रीवाली | कटकामस नदी | 230 | 1350 | 341 | 5 | 1004 | 0.00 | 84.16 | 49.48 2989.91 | शून्य | शून्य | 1.5 |
|---------|-------------|------------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|--------|---|
| क्र.सं. | गांव के नाम | एडमम ब्लॉक | परि वार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | Total- अन्य | वन भूमि (हेक्टर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टर) | खनन/ उत्खनन | उद्योग | हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी(किमी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | रोमी | कटकामस नदी | 374 | 2920 | 384 | 0 | 2536 | 0.00 | 105.48 | 60.39 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 72 | नवाखाप | कटकामस नदी | 55 | 340 | 108 | 0 | 232 | 158.51 | 95.53 | 14.08 | शून्य | शून्य | 5.0 |
| 73 | लुनरि | कटकामस नदी | 11 | 52 | 49 | 0 | 3 | 44.82 | 192.83 | 23.45 | शून्य | शून्य | |
| 74 | पकरार | कटकामस नदी | 160 | 1081 | 17 | 0 | 1064 | 15.87 | 168.89 | 13.4 | शून्य | शून्य | 5.5 |
| 75 | तिलाइया | कटकामस नदी | 41 | 302 | 0 | 0 | 302 | 18.15 | 31.42 | | शून्य | शून्य | |
| 76 | छपवा | एच_बाग | 75 | 484 | 303 | 0 | 181 | 13.39 | 13.37 | 30.71 | शून्य | शून्य | 2 |
| 77 | चुरचु | एच_बाग | 389 | 2402 | 479 | 1 | 1922 | 0.00 | 243.75 | 71.39 | शून्य | शून्य | 3.5 |
| 78 | भैरावाल | एच_बाग | 91 | 478 | 112 | 9 | 357 | 0.00 | 84.55 | 178.6 | 1 | शून्य | 3.5 |
| 79 | नगवान | एच_बाग | 510 | 2901 | 389 | 0 | 2512 | 0.00 | 64.32 | 40.19 | शून्य | शून्य | 4 |
| | | | | | | | | | | 88.38 | 1 | शून्य | 2.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------|-----|------|-----|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|
| 80 | लाति | पदमा | 88 | 462 | 57 | 0 | 405 | 16.23 | 30.04 | 43.68 | शून्य | शून्य | 5 |
| 81 | नवादिह | पदमा | 41 | 224 | 0 | 0 | 224 | 4.63 | 68.01 | 41.26 | 4 | शून्य | 2 |
| 82 | पदमा | पदमा | 932 | 5560 | 871 | 4 | 4685 | 77.00 | 665.71 | 126.46 | शून्य | शून्य | 2 |
| 83 | पसाई | पदमा | 456 | 3051 | 515 | 0 | 2536 | 26.96 | 266.94 | 86.04 | शून्य | शून्य | 2.5 |
| 84 | पिन्दारकोन | पदमा | 229 | 1888 | 395 | 91 | 1102 | 336.80 | 117.44 | 75.66 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 85 | पीरी | पदमा | 225 | 1329 | 531 | 126 | 672 | 0.00 | 102.23 | 82.45 | शून्य | शून्य | 1 |
| 86 | सलगावन | पदमा | 416 | 2636 | 325 | 0 | 2311 | 0.00 | 108.15 | 132.38 | शून्य | शून्य | 3.5 |
| 87 | सिला | पदमा | 239 | 1381 | 301 | 165 | 915 | 0.00 | 76.24 | 93.42 | शून्य | शून्य | 2 |
| 88 | सोनपुरा | पदमा | 79 | 407 | 141 | 0 | 266 | 52.59 | 39.75 | 36.06 | 2 | शून्य | 1 |
| 89 | अरार | पदमा | 202 | 1212 | 393 | 0 | 819 | 168.34 | 141.83 | 86.68 | 3 | 1 | 1.5 |
| 90 | गरवा | पदमा | 135 | 841 | 201 | 0 | 640 | 40.12 | 32.91 | 72.08 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 91 | कुटीपीसी | पदमा | 335 | 1910 | 213 | 11 | 1686 | 19.73 | 63.68 | 74.12 | शून्य | शून्य | 1.0 |
| 92 | मुनगासमाओ | पदमा | 88 | 536 | 247 | 0 | 289 | 65.78 | 54.20 | 36.98 | शून्य | शून्य | 0.5 |
| 93 | सराइया | पदमा | 589 | 3786 | 764 | 0 | 3022 | 605.76 | 81.49 | 286.5 | शून्य | शून्य | 1.0 |
| 94 | सुरजपुरा | पदमा | 423 | 2551 | 392 | 0 | 2159 | 0.00 | 30.34 | 26.18 | शून्य | 3 | 2.0 |
| 95 | सुजी | पदमा | 191 | 1034 | 127 | 0 | 907 | 11.78 | 41.59 | 67.26 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 96 | बिहारी | पदमा | 290 | 1430 | 107 | 0 | 1323 | 39.69 | 15.90 | 38.14 | शून्य | शून्य | 1.5 |
| 97 | मझगांव | पदमा | 34 | 261 | 0 | 0 | 261 | 8.14 | 15.07 | 18.04 | शून्य | शून्य | 3.0 |
| 98 | महकोला | पदमा | 261 | 1388 | 212 | 0 | 1176 | 435.49 | 67.64 | 154.46 | शून्य | शून्य | 4.5 |
| 99 | चम्पादीह | पदमा | 273 | 1461 | 206 | 0 | 1255 | 22.82 | 94.28 | 112.66 | शून्य | शून्य | 5.0 |
| | | | | | | | Total- | 2182.60 | 3113.58 | 2211.10 | | | |
| | | | | | | G. Total- | | 11424.02 | 8713.8 | 7899.35 | | | |

कमजोर पारिस्थितिकी/पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पहचान के लिए हजारिबाग वन्यजीव अभयारण्य के एन्क्लेव ग्रामों के ब्यौरे

| क्र | गांव के नाम | एडनम ब्लॉक | परिवार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य वन भूमि (हेक्टर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टर) | खनन/उत्खनन | उद्योग | हजारिबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी(कि.मी) |
|-----|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | बलिया | कटकामस-दी | 51 | 374 | 35 | 0 | 339 | 86.673 | 36.64 | शून्य | शून्य | |
| 2 | होरया | कटकामस-दी | 99 | 858 | 235 | 0 | 623 | 488.194 | 159.13 | शून्य | शून्य | |
| 3 | राईबेर | कटकामस-दी | 132 | 1341 | 138 | 128 | 1075 | 485.668 | 89.86 | शून्य | शून्य | |
| 4 | दहतो खुर्द | कटकामस-दी | 301 | 2513 | 362 | 1111 | 1040 | 789.028 | 156.85 | शून्य | शून्य | |
| 5 | दनतो कालन | कटकामस-दी | 118 | 1145 | 430 | 265 | 450 | 225.619 | 130.54 | शून्य | शून्य | |
| 6 | कुद | कटकामस-दी | 51 | 441 | 235 | 23 | 183 | 159.453 | 42.67 | शून्य | शून्य | |
| 7 | बजहा | कटकामस-दी | 124 | 1012 | 236 | 326 | 450 | 201.818 | 123.52 | शून्य | शून्य | |
| 8 | सकरजा | कटकामस-दी | 37 | 263 | 205 | 6 | 52 | 255.142 | 32.57 | शून्य | शून्य | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|-----|------|-----|-----|------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 9 | कुमरौ | कटकामस- दी | 30 | 186 | 171 | 0 | 15 | 95.267 | 10.89 | 20.83 | शून्य | शून्य |
| 10 | बोरोगरा | कटकामस- दी | 23 | 218 | 51 | 167 | 0 | 149.267 | 3.74 | 33.38 | शून्य | शून्य |
| 11 | उरीदिसी | कटकामस- दी | 32 | 241 | 18 | 83 | 140 | 159.125 | 32.11 | 52.37 | शून्य | शून्य |
| 12 | खरिका | कटकामस- दी | 31 | 224 | 96 | 84 | 44 | 129.656 | 38.81 | 52.3 | शून्य | शून्य |
| 13 | इदला | कटकामस- दी | 58 | 546 | 106 | 49 | 391 | 111.685 | 24.46 | 102.94 | शून्य | शून्य |
| 14 | हेसा कुदार | कटकामस- दी | 91 | 749 | 121 | 286 | 342 | 0.00 | 93.74 | 124.41 | शून्य | शून्य |
| 15 | लखनु | कटकामस- दी | 64 | 530 | 177 | 37 | 316 | 239.3 | 93.76 | 55.16 | शून्य | शून्य |
| 16 | हतकउना | कटकामस- दी | 54 | 1120 | 307 | 63 | 750 | 389.295 | 167.72 | 121.57 | शून्य | शून्य |
| 17 | हरहाद | कटकामस- दी | 38 | 268 | 7 | 24 | 237 | 357.294 | 26.51 | 57.80 | शून्य | शून्य |
| 18 | नचले | कटकामस- दी | 29 | 185 | 180 | 5 | 0 | 159.291 | 9.09 | 79.83 | शून्य | शून्य |
| 19 | गुरुदिह | कटकामस- दी | 45 | 416 | 42 | 335 | 39 | 398.551 | 78.81 | 97.46 | शून्य | शून्य |
| 20 | दानर | कटकामस- दी | 386 | 3494 | 680 | 165 | 2649 | 638.838 | 171.96 | 99.38 | शून्य | शून्य |
| 21 | सरुगरु खुर्द | कटकामस- दी | 57 | 342 | 26 | 0 | 316 | 12.976 | 4.88 | 104.64 | शून्य | शून्य |

| धरहरा | कटकामसन्दी | परिवार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | वन भूमि (हेक्टर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टर) | खनन/उत्खनन | शून्य | शून्य |
|-----------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------|-------|-------|
| 34 धरहरा | 46 | 248 | 103 | 0 | 145 | 5.526 | 19.44 | 86.16 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 35 कलवाडी | 35 | 198 | 110 | 21 | 67 | 8.34 | 3.45 | 10.12 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 36 रहेया | 71 | 458 | 454 | 0 | 4 | 565.619 | 48.57 | 107.84 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 37 दुमरी | 17 | 62 | 62 | 0 | 0 | 574.15 | 15.39 | 18.93 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | 3612.0 | 30932.00 | 8238.00 | 3179.00 | 1951 | 7792.24 | 2340.78 | 3661.20 | | | | |
| क्र सं. | गाव के नाम | परिवार | कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | वन भूमि (हेक्टर) | अन्य सरकारी भूमि | कृषि भूमि (हेक्टर) | खनन/उत्खनन | शून्य | शून्य |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | चम्पानगर रवादीह | 254 | 1930 | 390 | 0 | 1540 | 759.708 | 163.89 | 264.93 | | | |
| 39 | तिलरा | 212 | 1476 | 379 | 90 | 1007 | 495.336 | 128.105 | 178.35 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 40 | भस्वा | 44 | 391 | 75 | 0 | 316 | 15.814 | 96.95 | 82.53 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 41 | दुमराउन | 736 | 5886 | 1096 | 12 | 4778 | 118.485 | 62.66 | 368.25 | 5 | 6 | 6 |
| 42 | दानगी | 93 | 696 | 188 | 0 | 508 | 452.789 | 87.68 | 157.54 | 1 | शून्य | शून्य |
| 43 | मथावा | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 321.956 | 16.63 | 5.47 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 44 | कइले | 21 | 143 | 0 | 0 | 143 | 595.312 | 0.41 | 30.17 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 45 | पोखरीया | 7 | 18 | 6 | 0 | 9 | 755.231 | 0.00 | 104.87 | शून्य | शून्य | शून्य |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|---------|-------|-------|
| 46 | पनदरा | इच्छक | 10 | 39 | 0 | 0 | 35 | 4 | 161.295 | 17.6 | 41.7 | 8 | शून्य |
| 47 | लोटवा | इच्छक | 60 | 402 | 263 | 137 | 137 | 2 | 145.260 | 106.72 | 72.86 | शून्य | शून्य |
| | परासी | इच्छक | | | | | | | | | | शून्य | शून्य |
| 48 | राजघाट | इच्छक | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1048.977 | 88.63 | 10.07 | | |
| 49 | हसेल | इच्छक | 18 | 139 | 120 | 0 | 0 | 19 | 107.363 | 51.59 | 38.08 | शून्य | शून्य |
| 50 | मनई | इच्छक | 111 | 743 | 97 | 0 | 0 | 646 | 203.279 | 131.21 | 47.5 | शून्य | शून्य |
| 51 | बरकाकलान | इच्छक | 241 | 1781 | 174 | 0 | 0 | 1607 | 550.692 | 133.56 | 185.53 | शून्य | शून्य |
| 52 | खुतरा | इच्छक | 176 | 1517 | 327 | 1 | 1 | 1189 | 123.656 | 58.45 | 115.23 | शून्य | शून्य |
| 53 | पारसी | इच्छक | 348 | 2778 | 570 | 72 | 72 | 2136 | 58.409 | 136.45 | 128.07 | 1 | शून्य |
| 54 | हवारी | इच्छक | 299 | 2576 | 694 | 12 | 12 | 1870 | 156.575 | 95.37 | 189.06 | शून्य | शून्य |
| 55 | सिजहुआ | इच्छक | 125 | 1125 | 368 | 22 | 22 | 735 | 403.305 | 106.08 | 102.23 | 23 | 10 |
| 56 | साएलकालन | इच्छक | 27 | 180 | 144 | 0 | 0 | 36 | 429.575 | 99.18 | 124.63 | शून्य | शून्य |
| 57 | तुरी | इच्छक | 47 | 257 | 12 | 12 | 195 | 50 | 576.980 | 47.64 | 101.82 | शून्य | शून्य |
| 58 | दरीघाघर | इच्छक | 113 | 788 | 351 | 88 | 88 | 349 | 465.856 | 88.17 | 246.53 | शून्य | शून्य |
| 59 | गरदीह | इच्छक | 75 | 521 | 0 | 263 | 263 | 258 | 577.097 | 61.16 | 104.63 | शून्य | शून्य |
| 60 | पुरानपनिया | इच्छक | 28 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 117.705 | 8.69 | 44.5 | शून्य | शून्य |
| 61 | कलादवार | इच्छक | 113 | 863 | 146 | 1 | 1 | 716 | 193.931 | 23.64 | 117.60 | शून्य | शून्य |
| 62 | फूफुन्दी | इच्छक | 98 | 746 | 0 | 333 | 333 | 413 | 66.765 | 41.07 | 222.8 | शून्य | शून्य |
| 63 | सिमरातरी | इच्छक | 35 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 309.761 | 23.78 | 35.14 | शून्य | शून्य |
| 64 | मरणा | इच्छक | 42 | 297 | 49 | 58 | 58 | 190 | 84.737 | 54.66 | 45.42 | शून्य | शून्य |
| 65 | गुरुकुआ | इच्छक | 35 | 102 | 28 | 0 | 0 | 74 | 9.534 | 64.88 | 63.9 | 1 | शून्य |
| 66 | फलदाहा | इच्छक | 51 | 135 | 32 | 0 | 0 | 103 | 162.919 | 76.63 | 102.55 | शून्य | शून्य |
| 67 | साएलखुर्द | इच्छक | 21 | 80 | 14 | 0 | 0 | 66 | 51.623 | 20.16 | 80.97 | शून्य | शून्य |
| 68 | बुन्दु | पदमा | 155 | 757 | 160 | 0 | 0 | 597 | 274.898 | 59.98 | 50.64 | शून्य | शून्य |
| 69 | दोनाइकालन | पदमा | 171 | 628 | 75 | 22 | 22 | 531 | 639.182 | 104.12 | 145.35 | 3 | शून्य |
| 70 | दोनतोखुर्द | पदमा | 88 | 324 | 60 | 15 | 15 | 249 | 0.00 | 86.21 | 107.25 | शून्य | शून्य |
| 71 | जिहु | पदमा | 99 | 830 | 26 | 11 | 11 | 793 | 245.255 | 40.53 | 397.22 | 1 | शून्य |
| 72 | तिलिर | पदमा | 133 | 785 | 120 | 0 | 0 | 665 | 153.968 | 53.09 | 134.84 | शून्य | शून्य |
| | कुल- | | 4090.00 | 29341.00 | 5964.00 | 1563.00 | 1563.00 | 21814.00 | 10833.23 | 2435.58 | 4248.23 | | |
| | कुल अनुदान- | | 7702.00 | 60273.00 | 14202.00 | 4742.00 | 4742.00 | 41329.00 | 18625.466 | 4776.355 | 7909.43 | | |

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई
की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठकों के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2015

S.O. 2244(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Hazaribagh Wildlife Sanctuary lies between latitudes $24^{\circ}01'$ to $24^{\circ}12'$ North and Longitudes $85^{\circ}13'$ and $85^{\circ}32'$ East in the Hazaribagh district of Jharkhand. The sanctuary occupies an area of 186.25 square kilometres and is roughly rectangular in shape covering a length of about 26 kilometres from East to West and a breadth of about 7 kilometres from North to South and it extends over 89 villages falling under the revenue division of Hazaribagh, Ichak and Padma;

AND WHEREAS, Hazaribagh Wildlife Sanctuary was notified on 27 May, 1976 and is under the administrative control of Wildlife Division, Hazaribagh;

AND WHEREAS, the Protected Area is home to diverse types of forests - Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist and Dry Peninsular Sal Forest and Northern Dry Mixed Deciduous Forest - and is an excellent habitat for significant populations of 16 species of mammals, 124 species of birds and 142 species of flora, including leopards, sloth bears, pangolins, python, etc., which are all endangered species;

AND WHEREAS, the Hazaribagh Wildlife sanctuary has a wide range of biodiversity and in the past, it was known as the home of sambhar, the largest deer species of India. The habitat is also shared by cheetahs, wild boars, black bears, jackals, porcupines, hyenas, pangolins, hares, etc. The important bird species which can be spotted frequently are serpent

eagle, paradise fly catcher, king fisher, bee eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, pea fowl, pond heron, egret, etc., and carnivores like wolves and leopards are also spotted.

AND WHEREAS, in the District Gazetteer of Hazaribagh, 1917, it was observed that the hills of Danto served as the permanent habitat of tigers and that of leopards and were frequently visited the town of Hazaribagh and the forests of the sanctuary also fall in the home range of elephant;

AND WHEREAS, Hazaribagh Wildlife Sanctuary lies in the catchments of two river systems, namely, Kweta and Daita and the protected area also serves as the catchments of many rain-fed natural streams and lakes. The forests of the protected area intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion;

AND WHEREAS, the protected area supports the local population by providing them with means of livelihood, has great aesthetic value and scope for wildlife research and education and has tremendous potential to support thriving eco-tourism;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Hazaribagh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from the ecological and environmental

point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5 kilometres from the Hazaribagh Wildlife Sanctuary in the State of Jharkhand as the Hazaribagh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero to five kilometres from the boundary of the Hazaribagh Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 593.48 square kilometres. The boundaries of Hazaribagh Wildlife Sanctuary are as follows:

Southern side: Siwane river, Alaunja Kala Protected Forest and Karimnagar Protected Forest, leaving out Hazaribagh township. Beyond Hazaribagh township, however, Charwa village has been included in the eco-fragile zone because of the importance of Charwa dam for native, as well as migratory, birds;

Northern side: Mahabar Pahar, Barsot Protected Forest, Bahi pahar, N.H. -33 and Kewta Nadi;

Western side: Mohane river, Anianwan mauja, Panighat nala and Chopa village;

Eastern side: Basotinala, G.T. road, Checkapi, Sonar khap and Basaria.

(2) The GPS coordinates of Eco-sensitive Zone are appended as

Annexure I.

(3) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture; and
- (ix) Jharkhand State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor the improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests

agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 25, 29, 31 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and

- (iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this subparagraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up

by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Jharkhand in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Haziribag Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-

defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions

of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under. -

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive zone and the burning or incineration of solid wastes shall be prohibited in the sensitive Zone. Government shall draw up guidelines and regulations for the sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** The bio-medical waste disposed in the sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change with Notification number S.O. 800 (E) dated 27th 11 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and in such an the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

(iii) the biodegradable material shall be disposed of by composting or vermiculture;

Table of Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

| Sl. No. | Activity | Remarks |
|----------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| A. Prohibited Activities: | | |
| 1. | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | <p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.</p> <p>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p> |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 4. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5. | Establishment of new major hydroelectric projects | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Use of plastic carry bags | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |

| | | |
|----|---|---|
| 7. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9. | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |

B. Regulated Activities:

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 10. | Felling of trees. | <p>(a) There shall be no felling of trees in the forest land of Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p> |
|-----|-------------------|--|

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority. |
| 12. | Drastic change of agriculture system. | Regulated under applicable laws. |
| 13. | Commercial water resources including ground water harvesting. | <p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</p> <p>(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority.</p> <p>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</p> <p>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 14. | <p>Construction of electrical cables and telecommunication towers for temporary accommodation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 15. | <p>Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 16. | <p>Widening and strengthening of existing roads.</p> | <p>Shall be done with Environment Impact Assessment and mitigation measures, applicable</p> | <p>Shall be done with Environment Impact Assessment and mitigation measures, applicable</p> |
| 17. | <p>Construction of new roads.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 18. | <p>Movement of vehicular traffic at night.</p> | <p>Regulated for commercial purposes under applicable laws.</p> | <p>Regulated for commercial purposes under applicable laws.</p> |
| 19. | <p>Introduction of exotic species.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 20. | <p>Protection of hill slopes and river banks.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 21. | <p>Air (including noise) pollution.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |
| 22. | <p>Commercial Sign boards and hoardings.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> | <p>Regulated under applicable laws.</p> |

| | | |
|------------|---|--|
| <p>22.</p> | <p>Erection of High Tension power transmission lines 11KV and above;</p> | <p>Regulated under applicable laws and as per the Zonal Master Plan and, or, with the recommendation of the Monitoring Committee.</p> |
| <p>23.</p> | <p>Construction activities.</p> | <p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.</p> |
| <p>24.</p> | <p>Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.</p> | <p>Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.</p> |

| | |
|--|---|
| Small scale industries not causing pollution. | Non-polluting, non-hazardous small-scale and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industries producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| Security Forces Camp. | Regulated under applicable laws. |
| New wood based industry. | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock. |
| Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities. | Regulated under applicable laws. |

C. Promoted Activities:

| | |
|--|----------------------------------|
| Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries. | Permitted under applicable laws. |
| Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| Use of renewable energy sources. | Permitted under applicable laws. |

| | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 34. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Cottage industries including village artisans, etc., | Shall be actively promoted. |

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) The Deputy Commissioner, Haziribag, Government of Jharkhand—
Chairman;
- (b) Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change –Member;
- (c) Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board-Member;
- (d) Representative of the Department of Forest and Environment, Government of Jharkhand –Member;
- (e) Representative of the Department of Mines, Government of Jharkhand – Member;
- (f) Representative of the Department of Industries, Government of Jharkhand – Member;
- (g) Representative of the Department of Revenue, Government of Jharkhand – Member;
- (h) Representative of the Department of Water Resources, Government of Jharkhand – Member;

3529 25/10-7

- (i) Representative of the Department of Public works, Government of Jharkhand – Member;
- (j) The Senior Town Planner, Government of Jharkhand – Member;
- (k) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Jharkhand for a period of one year in each case— Member;
- (l) One expert in the area of ecology and environment to be nominated in each case for a period of one year by the Government of Jharkhand - Member; and
- (m) Divisional Forest Officer, Haziribag Wildlife Division—Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and The State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/66/2015-ESZ-RB]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'


Annexure I

Global Positioning System (GPS) Coordinates Eco-sensitive Zone boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.

| Sl. No. | GPS point | Longitude | Latitude |
|---------|-----------|-------------|--------------|
| 1. | E01 | 85°08.706'E | 24°12.505'N |
| 2. | E02 | 85°14.368'E | 24°13.392' N |
| 3. | E03 | 85°18.011'E | 24°13.170' N |
| 4. | E04 | 85°22.047'E | 24°12.102' N |
| 5. | E05 | 85°26.246'E | 24°13.997' N |
| 6. | E06 | 85°29.989'E | 24°14.490' N |
| 7. | E07 | 85°34.003'E | 24°11.630' N |
| 8. | E08 | 85°34.001'E | 24°08.644' N |
| 9. | E09 | 85°30.849'E | 24°05.477' N |
| 10. | E10 | 85°29.128'E | 24°02.420' N |
| 11. | E11 | 85°24.647'E | 24°02.964N |
| 12. | E12 | 85°23.248'E | 24°02.328' N |
| 13. | E13 | 85°19.769'E | 24°01.092' N |
| 14. | E14 | 85°15.208'E | 24°00.271' N |
| 15. | E15 | 85°12.587'E | 24°02.134' N |
| 16. | E16 | 85°11.982'E | 24°04.971' N |
| 17. | E17 | 85°10.091'E | 24°07.275' N |
| 18. | E18 | 85°08.697'E | 24°09.403' N |
| 19. | E19 | 85°08.796'E | 24°11.242' N |

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.



Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.

ECO FRAGILE/ECO SENSITIVE ZONE IDENTIFICATION AND DETAILS OF AREA AROUND HAZARIBAG WILD LIFE SANCTUARY

| Sl. No | Name of Village | Admm Block | House Hold | Total Population | S.C. | S.T. | Others | Forest Land (hac.) | Other Govt. Land | Agricultural Land (hac.) | Mining/ quarry | Industries | Distance from HWLS Boundary (Km.) |
|--------|----------------------------|------------|------------|------------------|------|------|--------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Banganwa | Barhi | 36 | 268 | 0 | 0 | 268 | 198.03 | 42.35 | 166.77 | Nil | Nil | 5 |
| 2 | Bela | Barhi | 182 | 1140 | 212 | 0 | 928 | 0.00 | 66.85 | 195.44 | Nil | Nil | 3 |
| 3 | Chalanga | Barhi | 95 | 577 | 18 | 2 | 557 | 80.10 | 97.68 | 131.8 | Nil | Nil | 4.5 |
| 4 | Mahugara | Barhi | 64 | 507 | 0 | 0 | 507 | 205.20 | 25.16 | 35.96 | Nil | Nil | 2.5 |
| 5 | TetariaBhandaro | Barhi | 30 | 231 | 0 | 0 | 231 | 106.26 | 58.04 | 102.13 | 1 | Nil | 5 |
| 6 | Tilaidih | Barhi | 104 | 687 | 164 | 0 | 523 | 25.00 | 35.8 | 162.78 | Nil | Nil | 2.0 |
| 7 | Jitupur | Barhi | 87 | 434 | 13 | 90 | 331 | 201.42 | 24.50 | 102.10 | Nil | Nil | 4.5 |
| 8 | Kutma | Barhi | 101 | 537 | 81 | 455 | 1 | 457.03 | 56.92 | 49.20 | Nil | Nil | 2.5 |
| 9 | Pipratand | Barhi | 33 | 183 | 26 | 130 | 27 | 87.48 | 31.25 | 28.45 | Nil | Nil | 3.5 |
| 10 | Bundu | Barhi | 126 | 830 | 0 | 0 | 830 | 39.43 | 11.45 | 67.3 | 1 | Nil | 1.0 |
| 11 | Khutra | Ichak | 239 | 1517 | 327 | 1 | 1189 | 122.05 | 57.08 | 115.23 | Nil | Nil | 0.5 |
| 12 | Rud | Ichak | 155 | 757 | 160 | 0 | 597 | 0.00 | 59.98 | 50.64 | Nil | Nil | 0.5 |
| 13 | Sirsi | Ichak | 108 | 722 | 75 | 0 | 647 | 0.00 | 34.1 | 53.59 | Nil | Nil | 1.0 |
| 14 | Tetaria | Ichak | 85 | 557 | 140 | 0 | 417 | 0.00 | 12.25 | 34.85 | Nil | Nil | 2.0 |
| 15 | Mangura | Ichak | 421 | 2181 | 340 | 2 | 1839 | 0.00 | 47.85 | 97.43 | Nil | Nil | 2.5 |
| 16 | Jamuari | Ichak | 198 | 1166 | 176 | 0 | 990 | 0.00 | 63.43 | 58.78 | Nil | Nil | 3.0 |
| 17 | Bhandua | Ichak | 38 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 37.46 | 18.19 | Nil | Nil | 5 |
| 18 | Chaprakh | Ichak | 171 | 955 | 206 | 0 | 749 | 0.00 | 11.05 | 56.03 | Nil | Nil | 0.5 |
| 19 | Gobarbandha | Ichak | 175 | 1189 | 124 | 3 | 1062 | 0.00 | 119.36 | 48.02 | Nil | Nil | 0.5 |
| 20 | Purnaichak alias Purnadilh | Ichak | 271 | 1723 | 384 | 0 | 1339 | 0.00 | 315.10 | 96.70 | Nil | Nil | 2.12 |

| Sl. No | Name of Village | Admm Block | House Hold | Total Population | S.C. | S.T. | Others | Forest Land (hac.) | Other Govt. Land | Agricultural Land (hac.) | Mining/q uerry | Industries | Distance from HWLS Boundary (Km.) |
|--------|-----------------|-------------|------------|------------------|------|------|---------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Bonga | Ichak | 559 | 3280 | 520 | 0 | 2760 | 24.12 | 290.59 | 193.63 | 2 | Nil | 0.75 |
| 22 | Chanda | Ichak | 119 | 641 | 88 | 0 | 553 | 1.00 | 37.43 | 42.95 | Nil | Nil | 2 |
| 23 | Daria | Ichak | 298 | 1799 | 273 | 0 | 1526 | 216.76 | 52.64 | 86.48 | Nil | Nil | 0.5 |
| 24 | Jalaundh | Ichak | 260 | 1389 | 536 | 0 | 853 | 215.00 | 23.46 | 40.15 | Nil | Nil | 1.25 |
| 25 | Jogdih | Ichak | 86 | 536 | 81 | 0 | 455 | 0.00 | 38.26 | 48.68 | Nil | Nil | 0.5 |
| 26 | Kariadpur | Ichak | 346 | 2003 | 207 | 1 | 1795 | 0.00 | 128.42 | 88.42 | Nil | Nil | 2.5 |
| 27 | Kurhu | Ichak | 390 | 2583 | 426 | 0 | 2157 | 0.00 | 63.05 | 92.45 | Nil | Nil | 3.5 |
| 28 | Lonhri | Ichak | 48 | 256 | 185 | 0 | 71 | 54.85 | 2.95 | 36.87 | Nil | Nil | 5 |
| 29 | Saram | Ichak | 45 | 286 | 0 | 1 | 285 | 0.00 | 18.02 | 12.45 | Nil | Nil | 1.5 |
| 30 | Urka | Ichak | 133 | 807 | 81 | 10 | 716 | 24.87 | 68.82 | 62.96 | Nil | Nil | 1.5 |
| 31 | Babhni | Ichak | 161 | 842 | 75 | 589 | 178 | 556.36 | 127.67 | 62.50 | 3 | Nil | 3.5 |
| 32 | Basaria | Ichak | 106 | 613 | 31 | 0 | 582 | 85.08 | 5.33 | 82.41 | 3 | Nil | 5 |
| 33 | Darha | Ichak | 176 | 1134 | 226 | 0 | 908 | 201.6 | 110.21 | 73.65 | Nil | Nil | 2.12 |
| 34 | Deokuli | Ichak | 532 | 3070 | 1006 | 69 | 1995 | 0.00 | 65.25 | 101.35 | Nil | Nil | 5 |
| | | | | | | | Total- | 2901.64 | 2239.76 | 2698.34 | | | |
| 35 | Dighibasti | Ichak | 38 | 261 | 9 | 0 | 252 | 33.38 | 98.08 | 42.01 | Nil | Nil | 1.5 |
| 36 | Karma | Ichak | 126 | 810 | 112 | 0 | 698 | 51.98 | 77.41 | 62.74 | Nil | Nil | 0.5 |
| 37 | Khaira | Ichak | 257 | 1455 | 300 | 321 | 834 | 284.68 | 510.42 | 144.23 | Nil | Nil | 3 |
| 38 | Lundru | Ichak | 404 | 2111 | 407 | 1 | 1703 | 214.53 | 130.11 | 195.91 | Nil | Nil | 5 |
| 39 | Marpa | Ichak | 63 | 297 | 49 | 58 | 190 | 0.00 | 139.39 | 45.42 | Nil | Nil | 5 |
| 40 | Phuruka | Ichak | 112 | 596 | 56 | 0 | 540 | 0.00 | 156.20 | 53.39 | Nil | Nil | 5 |
| 41 | Garisaram | Ichak | 167 | 866 | 305 | 0 | 561 | 102.87 | 54.31 | 80.14 | 1 | Nil | 2 |
| 42 | GhaghraKhurd | Ichak | 121 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0.00 | 69.41 | 38.42 | Nil | Nil | 5 |
| 43 | UjrahiDighi | Ichak | 6 | 52 | 31 | 18 | 3 | 284.68 | 1.78 | 30.84 | Nil | Nil | 2 |
| 44 | Amjhar | Katkamsandi | 41 | 249 | 242 | 0 | 7 | 509.11 | 15.70 | 53.02 | Nil | Nil | 5 |
| 45 | Banjhia | Katkamsandi | 76 | 441 | 96 | 0 | 345 | 42.14 | 157.89 | 58.08 | Nil | Nil | 2 |
| 46 | Bargara | Katkamsandi | 353 | 2195 | 658 | 6 | 1531 | 267.33 | 4.76 | 51.64 | 2 | Nil | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|------------------|------|------|--------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 47 | Barakodan, | Katkamsandi | 198 | 1220 | 20 | 534 | 485 | 646.83 | 316.14 | 25.12 | Nil | Nil | Nil | 1.5 |
| 48 | Dahur, | Katkamsandi | 100 | 596 | 386 | 208 | 2 | 401.54 | 141.92 | 42.41 | Nil | Nil | Nil | 1 |
| 49 | Dhaurwa | Katkamsandi | 292 | 1975 | 27 | 0 | 1758 | 215.93 | 100.00 | 102.45 | Nil | Nil | Nil | 1.5 |
| 50 | Johadiha | Katkamsandi | 29 | 24 | 54 | 0 | 160 | 0.00 | 4.52 | 16.13 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 51 | Kathoutia | Katkamsandi | 115 | 567 | 165 | 12 | 390 | 330.26 | 25.7 | 98.9 | Nil | Nil | Nil | 1 |
| 52 | Lakhnu | Katkamsandi | 94 | 530 | 177 | 37 | 316 | 236.49 | 81.32 | 67.17 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 53 | LawaKudar | Katkamsandi | 71 | 465 | 0 | 191 | 274 | 511.47 | 14.60 | 120.37 | Nil | Nil | Nil | 3.5 |
| 54 | Manar | Katkamsandi | 60 | 416 | 118 | 0 | 298 | 299.02 | 43.94 | 88.89 | Nil | Nil | Nil | 5 |
| 55 | Marigara | Katkamsandi | 85 | 510 | 191 | 16 | 303 | 186.05 | 18.79 | 70.69 | Nil | Nil | Nil | 4.5 |
| 56 | Mauhgain | Katkamsandi | 39 | 249 | 6 | 102 | 141 | 373.96 | 4.89 | 11.6 | Nil | Nil | Nil | 5.5 |
| 57 | Ulanj | Katkamsandi | 79 | 535 | 18 | 0 | 517 | 78.47 | 2.28 | 127.21 | Nil | Nil | Nil | 1 |
| 58 | Atia | Katkamsandi | 5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 26.51 | 24.7 | Nil | Nil | Nil | 0.75 |
| 59 | Banadag | Katkamsandi | 427 | 2491 | 327 | 0 | 2164 | 78.36 | 47.83 | 210.22 | 2 | Nil | Nil | 9 |
| 60 | Chharwa | Katkamsandi | 97 | 559 | 262 | 0 | 297 | 60.53 | 35.95 | 81.24 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 61 | Dharhara | Katkamsandi | 46 | 248 | 193 | 0 | 55 | 0.00 | 23.44 | 86.16 | Nil | Nil | Nil | 1 |
| 62 | Garke alias Gobindpur | Katkamsandi | 231 | 1420 | 134 | 0 | 1286 | 42.02 | 67.04 | 85.11 | Nil | Nil | Nil | 2.5 |
| 63 | Harina | Katkamsandi | 115 | 671 | 67 | 0 | 604 | 0.00 | 201.93 | 46.66 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 64 | Hedlag | Katkamsandi | 240 | 1548 | 497 | 0 | 1051 | 135.67 | 83.52 | 66.66 | Nil | Nil | Nil | 2.5 |
| 65 | Kachanpur | Katkamsandi | 460 | 2930 | 434 | 1 | 2495 | 156.04 | 9.25 | 254.51 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 66 | Kansar | Katkamsandi | 271 | 1505 | 437 | 79 | 989 | 195.35 | 194.83 | 60.88 | Nil | Nil | Nil | 0.5 |
| 67 | Luta | Katkamsandi | 185 | 1147 | 459 | 16 | 672 | 13.31 | 165.56 | 70.66 | 1 | Nil | Nil | 5 |
| 68 | Nawada | Katkamsandi | 133 | 843 | 94 | 0 | 749 | 151.35 | 221.47 | 32.05 | Nil | Nil | Nil | 1 |
| 69 | Pabra | Katkamsandi | 645 | 3854 | 967 | 0 | 2887 | 436.43 | 294.1 | 294.8 | 1 | Nil | Nil | 0.5 |
| 70 | Rewali | Katkamsandi | 230 | 1350 | 341 | 5 | 1004 | 0.00 | 84.16 | 49.48 | Nil | Nil | Nil | 1.5 |
| | | | | | | | | Total- | 6339.78 | 3360.46 | 2989.91 | 2989.91 | 11 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Sl. No | Name of Village | Admm Block | House Hold | Total Population | S.C. | S.T. | Others | Forest Land (hac.) | Other Govt. Land | Agricultural Land (hac.) | Mining/q uerry | Industries | Distance from HWLS Boundary (Kms.) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-----|------|-----|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 71 | Romi | Katkamsandi | 374 | 2920 | 384 | 0 | 2536 | 0.00 | 105.48 | 60.39 | Nil | Nil | 1.5 |
| 72 | Nawakhap | Katkamsandi | 55 | 340 | 108 | 0 | 232 | 158.51 | 95.53 | 14.08 | Nil | Nil | 5.0 |
| 73 | Lunri | Katkamsandi | 11 | 52 | 49 | 0 | 3 | 44.82 | 192.83 | 23.45 | Nil | Nil | 5.5 |
| 74 | Pakrar | Katkamsandi | 160 | 1081 | 17 | 0 | 1064 | 15.87 | 168.89 | 13.4 | Nil | Nil | 2 |
| 75 | Tilajya | Katkamsandi | 41 | 302 | 0 | 0 | 302 | 18.15 | 31.42 | 30.71 | Nil | Nil | 3.5 |
| 76 | Chapwa | H_bag | 75 | 484 | 303 | 0 | 181 | 13.39 | 13.37 | 71.39 | Nil | Nil | 3.5 |
| 77 | Churchu | H_bag | 389 | 2402 | 479 | 1 | 1922 | 0.00 | 243.75 | 178.6 | 1 | Nil | 3.5 |
| 78 | Merawal | H_bag | 91 | 478 | 112 | 9 | 357 | 0.00 | 84.55 | 40.19 | Nil | Nil | 4 |
| 79 | Nagwan | H_bag | 510 | 2901 | 389 | 0 | 2512 | 0.00 | 64.32 | 88.38 | 1 | Nil | 2.5 |
| 80 | Lati | Padma | 88 | 462 | 57 | 0 | 405 | 16.23 | 30.04 | 43.68 | Nil | Nil | 5 |
| 81 | Nawadih | Padma | 41 | 224 | 0 | 0 | 224 | 4.63 | 68.01 | 41.26 | 4 | Nil | 2 |
| 82 | Padma | Padma | 932 | 5560 | 871 | 4 | 4685 | 77.00 | 665.71 | 126.46 | Nil | Nil | 2 |
| 83 | Pasai | Padma | 456 | 3051 | 515 | 0 | 2536 | 26.96 | 266.94 | 86.04 | Nil | Nil | 2.5 |
| 84 | Pindarkon | Padma | 229 | 1588 | 395 | 91 | 1102 | 336.80 | 117.44 | 75.66 | Nil | Nil | 1.5 |
| 85 | Piri | Padma | 225 | 1329 | 531 | 126 | 672 | 0.00 | 102.23 | 82.45 | Nil | Nil | 1 |
| 86 | Salgawan | Padma | 416 | 2636 | 325 | 0 | 2311 | 0.00 | 108.15 | 132.38 | Nil | Nil | 3.5 |
| 87 | Sila | Padma | 239 | 1381 | 301 | 165 | 915 | 0.00 | 76.24 | 93.42 | Nil | Nil | 2 |
| 88 | Sonpura | Padma | 79 | 407 | 141 | 0 | 266 | 52.59 | 39.75 | 36.06 | 2 | Nil | 1 |
| 89 | Arar | Padma | 202 | 1212 | 393 | 0 | 819 | 168.34 | 141.83 | 86.68 | 3 | 1 | 1.5 |
| 90 | Garwa | Padma | 135 | 841 | 201 | 0 | 640 | 40.12 | 32.91 | 72.08 | Nil | Nil | 1.5 |
| 91 | Kutipisi | Padma | 335 | 1910 | 213 | 11 | 1686 | 19.73 | 63.68 | 74.12 | Nil | Nil | 1.0 |
| 92 | Mungarmao | Padma | 88 | 536 | 247 | 0 | 289 | 65.78 | 54.20 | 36.98 | Nil | Nil | 0.5 |
| 93 | Sarala | Padma | 589 | 3786 | 764 | 0 | 3022 | 605.76 | 81.49 | 286.5 | Nil | Nil | 1.0 |
| 94 | Surajpura | Padma | 423 | 2551 | 392 | 0 | 2159 | 0.00 | 30.34 | 26.18 | Nil | 3 | 2.0 |
| 95 | Suji | Padma | 191 | 1034 | 127 | 0 | 907 | 11.78 | 41.59 | 67.26 | Nil | Nil | 1.5 |
| 96 | Bihari | Padma | 290 | 1430 | 107 | 0 | 1323 | 39.69 | 15.90 | 38.14 | Nil | Nil | 1.5 |
| 97 | Majhgaon | Padma | 34 | 261 | 0 | 0 | 261 | 8.14 | 15.07 | 18.04 | Nil | Nil | 3.0 |
| 98 | Mahkola | Padma | 261 | 1388 | 212 | 0 | 1176 | 435.49 | 67.64 | 154.46 | Nil | Nil | 4.5 |
| 99 | Champadih | Padma | 273 | 1461 | 206 | 0 | 1255 | 22.82 | 94.28 | 112.66 | Nil | Nil | 5.0 |
| | | | | | | | Total- | 2182.60 | 3113.58 | 2211.10 | | | |
| | | | | | | | G. Total- | 11424.02 | 8713.8 | 7899.35 | | | |

ANNEXURE-1

DETAILS OF ENCLAVED VILLAGES OF HAZARIBAG WILD LIFE SANCTUARY FOR IDENTIFICATION OF ECO FRAGILE/ECO SENSITIVE ZONE

| Sl. No | Name of Village | Admm Block | House Hold | Total Population | S.C. | S.T. | Others | Forest Land (hac.) | Other Govt. Land | Agricltural Land (hac.) | Mining/quarry | Industries | Distance from HWLS Boundary (Krn.) |
|--------|-----------------|-------------|------------|------------------|------|------|--------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Balia | Katkamsandi | 51 | 374 | 35 | 0 | 339 | 86.673 | 36.64 | 59.51 | NIII | NIII | |
| 2 | Horeya | Katkamsandi | 99 | 858 | 235 | 0 | 623 | 488.194 | 159.13 | 114.87 | NIII | NIII | |
| 3 | Raiber | Katkamsandi | 132 | 1341 | 138 | 128 | 1075 | 485.688 | 89.86 | 109.10 | NIII | NIII | |
| 4 | DahtoKhurd | Katkamsandi | 301 | 2513 | 362 | 1111 | 1040 | 789.028 | 156.85 | 268.34 | NIII | NIII | |
| 5 | Danto Kalan | Katkamsandi | 118 | 1145 | 430 | 265 | 450 | 225.619 | 130.54 | 135.43 | NIII | NIII | |
| 6 | Kud | Katkamsandi | 51 | 441 | 235 | 23 | 183 | 159.453 | 42.67 | 58.49 | NIII | NIII | |
| 7 | Bajha | Katkamsandi | 124 | 1012 | 236 | 326 | 450 | 201.818 | 123.52 | 144.00 | NIII | NIII | |
| 8 | Sakarja | Katkamsandi | 37 | 263 | 205 | 6 | 52 | 255.142 | 32.57 | 46.45 | NIII | NIII | |
| 9 | Dumri | Katkamsandi | 30 | 186 | 171 | 0 | 15 | 95.267 | 10.89 | 20.83 | NIII | NIII | |
| 10 | Borogara | Katkamsandi | 23 | 218 | 51 | 167 | 0 | 149.267 | 3.74 | 33.38 | NIII | NIII | |
| 11 | Uridiri | Katkamsandi | 32 | 241 | 18 | 83 | 140 | 159.125 | 32.11 | 52.37 | NIII | NIII | |
| 12 | Kharika | Katkamsandi | 31 | 224 | 96 | 84 | 44 | 129.656 | 38.81 | 52.3 | NIII | NIII | |
| 13 | Edla | Katkamsandi | 58 | 546 | 106 | 49 | 391 | 111.685 | 84.46 | 102.94 | NIII | NIII | |
| 14 | Hesakudar | Katkamsandi | 91 | 749 | 121 | 286 | 342 | 0.00 | 93.74 | 124.41 | NIII | NIII | |
| 15 | Lakhnu | Katkamsandi | 64 | 530 | 177 | 37 | 316 | 239.3 | 93.76 | 55.16 | NIII | NIII | |
| 16 | Hatkauna | Katkamsandi | 54 | 1120 | 307 | 63 | 750 | 389.295 | 167.72 | 121.57 | NIII | NIII | |
| 17 | Harhad | Katkamsandi | 38 | 268 | 7 | 24 | 237 | 357.294 | 26.51 | 57.80 | NIII | NIII | |
| 18 | Nechle | Katkamsandi | 29 | 185 | 180 | 5 | 0 | 159.291 | 9.09 | 79.83 | NIII | NIII | |
| 19 | Gurudih | Katkamsandi | 45 | 416 | 42 | 335 | 39 | 398.551 | 78.81 | 97.46 | NIII | NIII | |
| 20 | Danr | Katkamsandi | 386 | 3494 | 680 | 165 | 2649 | 638.838 | 171.96 | 99.38 | NIII | NIII | |
| 21 | Sarugarukhur | Katkamsandi | 57 | 342 | 26 | 0 | 316 | 12.976 | 4.88 | 104.64 | NIII | NIII | |
| 22 | Bahimar | Katkamsandi | 107 | 931 | 181 | 0 | 750 | 41.417 | 80.28 | 70.22 | NIII | NIII | |
| 23 | Sarugarukala | Katkamsandi | 130 | 1096 | 306 | 0 | 787 | 67.267 | 63.66 | 112.72 | NIII | NIII | |
| 24 | Phari | Katkamsandi | 86 | 713 | 316 | 0 | 397 | 174.089 | 30.26 | 61.87 | NIII | NIII | |

| Sl. No | Name of Village | Admm Block | House Hold | Total Population | S.C. | S.T | Others | Forest Land (hac.) | Other Govt. Land | Agricultural Land (hac.) | Mining/ quarry | Industries | Distance from HWLS Boundary (Km.) |
|--------|---------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 25 | Gosi | Katkamsandi | 22 | 135 | 13 | 0 | 122 | 354.396 | 74.46 | 23.85 | Nil | Nil | Nil |
| 26 | Bagadha | Katkamsandi | 218 | 2195 | 658 | 0 | 1537 | 34.737 | 8.60 | 176.84 | Nil | Nil | Nil |
| 27 | Asdhir | Katkamsandi | 120 | 951 | 572 | 0 | 379 | 8.603 | 98.28 | 101.33 | Nil | Nil | Nil |
| 28 | Jalima | Katkamsandi | 25 | 202 | 179 | 0 | 23 | 39.518 | 30.71 | 59.3 | Nil | Nil | Nil |
| 29 | Bartua | Katkamsandi | 15 | 80 | 0 | 0 | 80 | 130.546 | 29.22 | 43.12 | Nil | Nil | Nil |
| 30 | Dukra | Katkamsandi | 106 | 1120 | 127 | 0 | 993 | 65.596 | 77.06 | 61.71 | Nil | Nil | Nil |
| 31 | Lupung | Katkamsandi | 574 | 4703 | 898 | 0 | 3805 | 19.817 | 79.31 | 386.73 | Nil | Nil | Nil |
| 32 | Kumbhiyatand | Katkamsandi | 38 | 22 | 0 | 0 | 22 | 161.044 | 59.87 | 133.39 | 2 | Nil | Nil |
| 33 | Sulmi | Katkamsandi | 152 | 1353 | 399 | 1 | 953 | 19.433 | 45.05 | 248.81 | Nil | Nil | Nil |
| 34 | Dharhara | Katkamsandi | 46 | 248 | 103 | 0 | 145 | 5.526 | 19.44 | 86.16 | Nil | Nil | Nil |
| 35 | Kalwadi | Katkamsandi | 35 | 198 | 110 | 21 | 67 | 8.34 | 3.45 | 10.12 | Nil | Nil | Nil |
| 36 | Rahea | Ichak | 71 | 458 | 454 | 0 | 4 | 565.619 | 48.57 | 107.84 | Nil | Nil | Nil |
| 37 | Dumri | Ichak | 17 | 62 | 62 | 0 | 0 | 574.15 | 15.39 | 18.93 | Nil | Nil | Nil |
| | | Total- | 3612.00 | 30932.00 | 8238.00 | 3179.00 | 19515.00 | 7792.24 | 2340.78 | 3661.20 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | Champanagar Nawadhi | Ichak | 254 | 1930 | 390 | 0 | 1540 | 759.708 | 163.89 | 264.93 | Nil | Nil | Nil |
| 39 | Titra | Ichak | 212 | 1476 | 379 | 90 | 1007 | 495.336 | 128.105 | 178.35 | 1 | Nil | Nil |
| 40 | Bhaswa | Ichak | 44 | 391 | 75 | 0 | 316 | 15.814 | 96.95 | 82.53 | Nil | Nil | Nil |
| 41 | Dumraun | Ichak | 736 | 5886 | 1096 | 12 | 4778 | 118.485 | 62.66 | 368.25 | 5 | 6 | 6 |
| 42 | Dangi | Ichak | 93 | 696 | 188 | 0 | 508 | 452.789 | 87.68 | 157.54 | 1 | Nil | Nil |
| 43 | Mathwa | Ichak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 321.956 | 16.63 | 5.47 | Nil | Nil | Nil |
| 44 | Kaile | Ichak | 21 | 143 | 0 | 0 | 143 | 595.312 | 0.41 | 30.17 | Nil | Nil | Nil |
| 45 | Pokharia | Ichak | 7 | 15 | 6 | 0 | 9 | 755.231 | 0.00 | 104.87 | Nil | Nil | Nil |
| 46 | Pandra | Ichak | 10 | 39 | 0 | 35 | 4 | 161.295 | 17.6 | 41.7 | 8 | Nil | Nil |
| 47 | Lotwa | Ichak | 60 | 402 | 263 | 137 | 2 | 145.260 | 106.72 | 72.86 | Nil | Nil | Nil |
| 48 | ParasiRaihat | Ichak | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1048.977 | 88.63 | 10.07 | Nil | Nil | Nil |
| 49 | Hasel | Ichak | 18 | 139 | 120 | 0 | 19 | 107.363 | 51.59 | 38.08 | Nil | Nil | Nil |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|-----|-----|
| 50 | Manai | Ichak | 111 | 743 | 97 | 0 | 646 | 203,279 | 131.21 | 47.5 | Nil | Nil |
| 51 | Barkakalan | Ichak | 241 | 1781 | 174 | 0 | 1607 | 550,692 | 133.56 | 185.53 | Nil | Nil |
| 52 | Khutra | Ichak | 176 | 1517 | 327 | 1 | 1189 | 123,656 | 58.45 | 115.23 | Nil | Nil |
| 53 | Parasi | Ichak | 348 | 2778 | 570 | 72 | 2136 | 58,409 | 136.45 | 128.07 | 1 | Nil |
| 54 | Hadari | Ichak | 299 | 2576 | 694 | 12 | 1870 | 156,575 | 95.37 | 189.06 | Nil | Nil |
| 55 | Sijhua | Ichak | 125 | 1125 | 368 | 22 | 735 | 403,305 | 106.08 | 102.23 | 23 | 10 |
| 56 | Saelkalan | Ichak | 27 | 180 | 144 | 0 | 36 | 429,575 | 99.18 | 124.63 | Nil | Nil |
| 57 | Turi | Ichak | 47 | 257 | 12 | 195 | 50 | 576,980 | 47.64 | 101.82 | Nil | Nil |
| 58 | Darighaghar | Ichak | 113 | 788 | 351 | 88 | 349 | 465,856 | 88.17 | 246.53 | Nil | Nil |
| 59 | Gardh | Ichak | 75 | 521 | 0 | 263 | 258 | 577,097 | 61.16 | 104.63 | Nil | Nil |
| 60 | Puranpania | Ichak | 28 | 184 | 0 | 184 | 0 | 117,705 | 8.69 | 44.5 | Nil | Nil |
| 61 | Kaladwar | Ichak | 113 | 863 | 146 | 1 | 716 | 193,931 | 23.64 | 117.60 | Nil | Nil |
| 62 | Phuphundi | Ichak | 98 | 746 | 0 | 333 | 413 | 66,765 | 41.07 | 222.8 | Nil | Nil |
| 63 | Simratari | Ichak | 35 | 212 | 0 | 0 | 212 | 309,761 | 23.78 | 35.14 | Nil | Nil |
| 64 | Marpa | Ichak | 42 | 297 | 49 | 58 | 190 | 84,737 | 54.66 | 45.42 | Nil | Nil |
| 65 | Gurukua | Ichak | 35 | 102 | 28 | 0 | 74 | 9,534 | 64.88 | 63.9 | 1 | Nil |
| 66 | Faldaha | Ichak | 51 | 135 | 32 | 0 | 103 | 162,919 | 76.63 | 102.55 | Nil | Nil |
| 67 | Saelkhurd | Ichak | 21 | 80 | 14 | 0 | 66 | 51,623 | 20.16 | 80.97 | Nil | Nil |
| 68 | Bundu | Padma | 155 | 757 | 160 | 0 | 597 | 274,898 | 59.98 | 50.64 | Nil | Nil |
| 69 | Donaikalan | Padma | 171 | 628 | 75 | 22 | 531 | 639,182 | 104.12 | 145.35 | 3 | Nil |
| 70 | Dantokhurd | Padma | 88 | 324 | 60 | 15 | 249 | 0.00 | 86.21 | 107.25 | Nil | Nil |
| 71 | Jihu | Padma | 99 | 830 | 26 | 11 | 793 | 245,255 | 40.53 | 397.22 | 1 | Nil |
| 72 | Tilir | Padma | 133 | 785 | 120 | 0 | 665 | 153,968 | 53.09 | 134.84 | Nil | Nil |
| | Total- | | 4090.00 | 29341.00 | 5964.00 | 1563.00 | 21814.00 | 10833.23 | 2435.58 | 4248.23 | | |
| | G. Total- | | 7702.00 | 60273.00 | 14202.00 | 4742.00 | 41329.00 | 18625.466 | 4776.355 | 7909.43 | | |

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
(Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
(Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
(Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.